न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर

जी0आर0सं0–584/2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या–346/2021

27–08–21 आवेदिका का जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571 का स्वामी गीता देवी की ओर से दिनांक 17–07–21 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया,जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

उपरोक्त आवेदन दिनांक 17–07–21 के आलोक में आवेदिका गीता देवी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है। उक्त वाहन का चालक आवेदक है। अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय। वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का आदेश का आवेदक अक्षरशः पाल करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना। अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571 दाउदनगर थाना में जप्त है। उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त वाहन के संबंध में, संबंधित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि

"

" बालू उत्खनन का वैध चालान अभिलेख पर संलग्न है। उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक 747/परि0 दिनांक 26–07–2021 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी गीता देवी है। उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571,इंजन संख्या-06642 एवं ट्रेलर इंजन संख्या–0000चेचिस संख्या–WSTF28428158754 ट्रेलर चेचिस संख्या–PEW00292017 है। आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या,चेचिस संख्या एवं इंजन संख्या स्कीन प्रतिवेदन के अनुसार ही है। उक्त ट्रैक्टर– ट्रेलर का दुरूस्ती की वैधता 31–03–2021 तक कर

की वैधता एकमुश्त कर दी गई है एवं बीमा की वैधता दिनांक 30–03–2022 की मध्य रात्रि तक है। आवेदिका के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के संबंध में अभी तक नहीं आया है। उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेजय आवेदक को वापस कर दिया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदिका गीता देवी के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571,इंजन संख्या-06642 एवं ट्रेलर इंजन संख्या–0000चेचिस संख्या–WSTF28428158754 ट्रेलर चेचिस संख्या–PEW00292017 है को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदिका गीता देवी के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या–BR26GA0497 एवं ट्रेलर निबंधन संख्या–BR26GA 0571 को मो0–800000🚘1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंध पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें। आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, विकय नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के संबंध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदिका के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बंधित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति बंध पत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें।

प्र0अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी दाउदनगर